1/14354/2023

पंजीकृत पावती उल्लंघन पत्र





भारत सरकार Government of India खान मंत्रालय Ministry of Mines भारतीय खान ब्यूरो Indian Bureau of Mines

Mine Code: 38RAJ09014

माखुपुरा औद्यौगिक क्षेत्र, Makhupura, Industrial Area अजमेर — **305 002** (राजस्थान) Ajmer- 305 002 (Rajasthan)

**दिनांक**: 02.08.2023

संख्या E/5608/MCDR-MiFLOLST/27/2023-AJM-IBM\_RO\_AJM

प्रेषित एजेंट, धनोरा लाइमस्टोन माइन,

मैसर्स वंडर सीमेंट लिमटेड,पो. आ.- आर.के. नगर, तहसील-निम्बाहेडा ,जिला-चित्तोडगढ़ (राजस्थान)

Email- info@wondercement.com, mk.bokadia@wondercement.com

विषय: Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your

**Dhanora Limestone Mine** (Lease area 255.0032 Hect.) in Chittorgarh District of Rajasthan State.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 20.07.2023 by the undersigned in presence of Sh.

Girish Shringi, Mine Manager & Sh. Om Prakash Rajpurohit, Geologist:

Girish Shringi, withe Manager & Sh. Om Prakash Rajpurohit, Geologist:	
Rule No.	Nature of violation observed in detail
Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Modified
	Mining Plan (Approved on 30.08.2019) for the year 2022-23:
	1) During the year 2022-23, pit excavation was proposed between local grid 200N to
	1160N & 500W to 20W whereas actual excavation has been carried out between local
	grid 280N to 980N & 230W to 126E.
	2) During the year 2022-23, no OB/waste generation proposal given whereas 42923.13
	cubic meter waste generated during the year.
	3) During the year 2022-23, plantation has been carried out 0.48 hect. area against the
	proposal of 0.6 hect. area. Further Plantation during the year 2022-23 has not been
	carried out on proposed location.

- 02 इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज सरंक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज सरंक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:
  - (क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।
  - (ख) आपके विरूद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
  - (ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।
- 03 अत: आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पेंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय.

(डी.आर. गुर्जर) वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो

## प्रतिलिपि, सूचनार्थ प्रेषित: -

- 1. खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल द्वारा) ।
- 2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
- 3. सहायक खनि अभियंता, खान एवं भविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, निम्बाहेडा,जिला-चित्तोडगढ ।
- 4. रक्षित पत्रावली ।